न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा जिला झालावाड़(राज.)

बइजलास – श्री अभिषेक चारण (आर.ए.एस.)
प्रकरण संख्या – 29/2020/प्रार्थना पत्र

उनवान

1. सलमा बेगम पुत्री सेफउल्ला पत्नि अब्दुल अलीम जाति मुसलमान नि. फतेहगढ तहसील रायपुर

– प्रार्थीया

बनाम

1. ग्राम पंचायत फतेहगढ तहसील रायपुर
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील रायपुर

–अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 रा.टी.एक्ट

उपस्थिति – वकील प्रार्थीगण – श्री नीलकमल त्रिवेदी
वकील अप्रार्थीगण – श्री महेन्द्रसिंह जैन

आदेश **दिनांक :** 24/01/2023

प्रकरण में संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीया ने धारा 212 रा.टी.एक्ट के तहत प्रार्थना पत्र पेश निवेदन किया कि ग्राम फतेहगढ की वादग्रस्त आराजी ख. नं. 839 रकबा 0.6576 हेक्टर भूमि अप्रार्थी सं. 1 के खाते में दर्ज है परन्तु उक्त वादग्रस्त आराजियात पर कब्जा काश्त निरन्तर पिछले 100 वर्षो से प्रार्थीया व उसके पूर्व प्रार्थिया के पिता का रहा है। उक्त वादग्रस्त आराजी प्रार्थिया को उसके पिता सेफुल्ला खां पि. सफीउल्ला खां द्वारा दिनांक 27.12.1972 को एक रजिस्टर्ड दान पत्र से ख.नं. 359, 361, 840, 839, 349, 343, 348, 322, 323, 324 किता 10 कुल रकबा 41 बीघा 7 बिस्वा भूमि का दान कर उप पंजीयक कार्यालय में उपस्थित होकर गवाहान के समक्ष तस्दीक करवाया था जो वर्तमान में विधिमान्य है। इस दान पत्र को किसी सक्षम न्यायालय द्वारा निरस्त या शून्य घोषित नहीं किया गया है। इस दान पत्र के आधार पर दर्ज नामान्तकरण को ग्राम पंचायत फतेहगढ द्वारा दिनांक 08.06.1975 को यह कहते हुये खारीज कर दिया कि दानकर्ता सहमत नहीं है। जिसकी जानकारी प्रार्थिया को नहीं मिली। [illegible] दान की गई भूमि ख.नं. 839 रकबा 2 बीघा 12 बिस्वा का [illegible] पंचायत फतेहगढ के

COURT 2022

Signature Not Verified
Digitally signed by Abhishek Charan
Date: 2023.01.30 14:14:50 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज०)

Scanned with OKEN Scanner

नाम दर्ज कर दी जबकि यह भूमि तो प्रार्थिया के पिता के खाते की थी और उन्होने प्रार्थिया को रजिस्टर्ड दानपत्र से दान की थी। आवंटी अप्रार्थी सं. 1 ने आज तक उक्त भूमि पर मौके पर कब्जा प्राप्त नहीं किया है इस तरह आवंटन शर्तो की पालना नहीं की है। अप्रार्थीगण के द्वारा प्रार्थिया को दान पत्र के दान की गई वादग्रस्त भूमि ख.नं. 839 से जबरन बेदखल करने की कार्यवाही की जा रही है। इसलिये अप्रार्थीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाना आवश्यक है। वादग्रस्त आराजी पर प्रार्थीया निरन्तर काबिज काश्त चली आ रही है जिससे प्रार्थीया खातेदार घोषित होने की अधिकारी है।

प्रार्थीया का प्रथम दृष्टया केस है क्योंकि प्रार्थीया के पक्ष में उसके पिता द्वारा दिनांक 12.07.1972 को रजिस्टर्ड दानपत्रं तस्दीक करवाया जो विधिमान्य होकर है। सुविधा का संतुलन भी प्रार्थीया के पक्ष में है क्योंकि प्रार्थीया वादग्रस्त आराजी का उपयोग व उपभोग निरन्तर बिना किसी बाधा के अभी तक कर रही है एवं अपूरनीय क्षति की संभावना भी प्रार्थीया को है क्योंकि अप्रार्थीगण द्वारा सक्षम न्यायालय का आदेश प्राप्त किये बिना ही बेदखल किया जाता है तो प्रार्थिया को अपूनीय क्षति होगी।

अतः प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अप्रार्थीगण को जरिये अस्थाई निषेधाक्षा से पाबंद किया जावे कि वे ताफैसला मूल वाद तक ग्राम फतेहगढ की वादग्रस्त आराजी ख.नं. 839 रकबा 0.6576 हेक्टर (2 बीघा 12 बिस्वा) भूमि में से प्रार्थीया को बेदखल नहीं करें। प्रार्थना पत्र के साथ ग्राम फतेहगढ की नकल जमाबंदी सं. 2073–76 के खाता सं. 533 , सेटलमेंट जमाबंदी खाता सं. 167 की नकल व नामा.सं. 80 , 155 , 265 की नकल , दान पत्र दिनांक 27.12.1972 , इस्तगासा दिनांक 02.07.2020 की प्रति पेश की।

अप्रार्थीगण को जरिये सम्मन तलब करने पर अप्रार्थी सं. 1 की ओर से एडवोकेट श्री महेन्द्रसिंह जैन ने वकालातनामा प्रस्तुत कर जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यो को गलत एवं अस्वीकार किया तथा विशेष कथन में निवेदन किया कि वादग्रस्त आराजी सिलिंग अधिग्रहण होकर खाता सरकार दर्ज हुई ततपश्चात अप्रार्थी सं. 1 को आवंटित होकर नामा.सं. 265 से अप्रार्थी सं. 1 के नाम दर्ज हुई है तब से ही अप्रार्थी सं. 1 के खातेदारी दर्ज रिकार्ड है। प्रार्थिया ने दानपत्र खारीज हो जाने पर उसके बाद उक्त आराजी के संबंध में कोई कार्यवाही

Signature Not Verified
Digitally signed by Abhishek Charan
Date: 2023.01.30 14:14:50 IST
Reason: SelfAttested

COURT 2022

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज०)

Scanned with OKEN Scanner

नहीं की एवं सं. 2032 में सिलिंग अधिग्रहण होकर खाता सरकार दर्ज होने पर भी प्रार्थीया द्वारा किसी प्रकार की चुनौती नहीं दी जिससे प्रार्थिया को कोई हक व अधिकार हासिल नहीं होते है। वादग्रस्त आराजी पर पिछले 40 वर्षो से अप्रार्थी सं. 1 का काश्त चला आ रहा है। उक्त आराजी ग्राम पंचायत फतेहगढ क्षेत्र में गौशाला , औषधालय , विद्यालय , सामुदायिक भवन इत्यादि के लिये उपयोगी है। प्रार्थिया का प्रथम दृष्टया प्रकरण व सुविधा का संतुलन नहीं है एवं अपूरनीय क्षति की संभावना भी नहीं है , अतः प्रार्थिया का प्रार्थना पत्र खारीज किये जाने योग्य है।

अप्रार्थी सं. 2 की ओर दिनांक 23.11.2020 को वादग्रस्त आराजी से संबंधित राजस्व रिकार्ड के साथ जवाब प्रस्तुत किया।

प्रार्थीया की ओर से समीउल्ला , प्रभूलाल , फूलचन्द , राजेन्द्रसिंह , रोडूलाल , शिवलाल , विष्णुप्रसाद , बालाराम के शपथ पत्र पेश किये।

उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई। प्रार्थना पत्र , जवाब प्रार्थना पत्र ,राजस्व रिकार्ड एवं प्रस्तुत शपथ पत्रों का गहनता से अवलोकन किया गया तथा विद्वान अभिभाषकगण द्वारा की गई बहस पर मनन किया गया। सेंटलमेंट जमाबंदी के खाता सं. 167 के अनुसार वादग्रस्त आराजी सेफउल्ला के खातेदारी की थी। खातेदार सेफउल्ला द्वारा दिनांक 27.12.1972 को अपनी खातेदारी की भूमि में से वादग्रस्त आराजी सहित 41 बीघा 7 बिस्वा भूमि रजिस्टर्ड दान पत्र से प्रार्थिया को दान की जिसका नामा.सं. 80 दर्ज किया गया परन्तु ग्राम पंचायत फतेहगढ द्वारा उक्त नामा. को दिनांक 08.06.1975 को खारीज कर दिया। नामा.सं. 128 के अनुसार सिलिंग अधिग्रहण में खातेदार सेफउल्ला की 41 बीघा 15 बिस्वा भूमि अधिग्रहित होकर दिनांक 28.06.1976 से खाता सरकार दर्ज हुई जिसमें वादग्रस्त आराजी भी सम्मिलित थी। नामा.सं. 265 के अनुसार वादग्रस्त आराजी 09.01.1983 को आवंटित होकर ग्राम पंचायत फतेहगढ के नाम दर्ज हुई। यह स्पष्ट है कि वादग्रस्त आराजी पूर्व में प्रार्थिया के पिता सेफउल्ला के खातेदारी की थी जिसे उसके द्वारा रजिस्टर्ड दानपत्र से प्रार्थिया को दान किया गया परन्तु दान पत्र का नामान्तकरण खारीज होने एवं उक्त भूमि का सिलिंग अधिग्रहण हो जाने से खाता सरकार दर्ज हुई। ततपश्चात ग्राम पंचायत फतेहगढ को आवंटित होकर दिनांक 09.01.1983 से अप्रार्थी सं. 1 के खाते दर्ज हुई।

Signature Not Verified

Digitally signed by Abhishek Charan
Date: 2023.01.30 14:14:50 IST
Reason: SelfAttested

COURT 2022

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज०)

Scanned with OKEN Scanner

इस प्रकार प्रार्थीया द्वारा न तो दान पत्र के नामा सं. 80 दिनांक 08.06.1975 के विरूद्ध सक्षम न्यायालय में अपील प्रस्तुत की एवं न ही सं. 2032 में सिलिंग अधिग्रहण होकर खाता सरकार दर्ज होने के उपरांत किसी प्रकार की सक्षम न्यायालय में कार्यवाही की। प्रस्तुत प्रकरण में प्रार्थिया का प्रथम दृष्टया केस नहीं है एवं सुविधा का संतुलन प्रार्थीया के पक्ष में नहीं है एवं अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नहीं होने की स्थिति में अपूरनीय क्षति की संभावना भी प्रार्थीया को नहीं है। अतः प्रार्थीया का धारा 212 राज.टीनेन्सी एक्ट का प्रार्थना पत्र खारीज किया जाता है।

आदेश आज मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अभिषेक चारण)
उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा
जिला झालावाड़ (राज.)

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज०)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा जिला झालावाड़

Signature Not Verified

Digitally signed by Abhishek Charan
Date: 2023.01.30 14:14:50 IST
Reason: SelfAttested

COURT 2023

Scanned with OKEN Scanner